| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से |
|---|---|---|
| | | दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व वादी के पिता ने वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि० 10-12-74 को खरीद की थी परन्तु विक्रय पत्र में वादी व वादी के पिता की वल्दियत गोपीराम दर्ज हो गई जबकि वादी सूरजमल का पुत्र है। सहवन से विक्रय पत्र में वादी की वल्दियत उसके पिता के नाम लिखे जाने से गोपीराम दर्ज हो गई जबकि वादी के पिता का नाम सूरजमल है। अत: वादी का वाद लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाकर खाता खसरा नम्बर 191, 192, 193 कुल किता 3 कुल रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम सिवानिया में ओमप्रकाश पुत्र गोपीराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र सूरजमल दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं डिक्री पर्चा तैयार होकर जारी हो। पालना हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश मंजे आम में सुनाया गया। |
| | | उपखण्ड अधि[illegible] सांभरलेक |